न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रकाश चन्द्र चौधरी** आर.ए.एस.

अपील सं. 23/2018

अनवानः—

प्रेमचंद पुत्र दीवान चन्द जाति अरोड़ा सा. सरदारपुरा जीवन हाल आबाद सैक्टर नं. 6 हनुमानगढ़ जं0 तह0 व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 22.06.2018 बअदालत तहसीलदार पीलीबंगा ।

उपस्थितः— 1 श्री खुशप्रीतसिंह संधू अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —16.07.2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मीमो, इसके सलंग्न दस्तावेजात तथा दौराने बहस प्रकट किये गये तथ्यों के मध्यनजर संक्षेप में निर्णयाधीन अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपील की विषय वस्तु चक 6 यूएमडब्ल्यु तहसील पीलीबंगा की तन में स्थित कृषि आराजी पत्थर नं0 15/215 (44) कि0नं0 5,6,15,16,25 है। इन किला नम्बरान की खातेदारी इसी मुरब्बा नम्बर के अन्य किला नम्बरान के साथ साथ राजस्व अभिलेख (जमांबंदी सम्वत् 2071 का खाता सं0 32) में जितेन्द्र कुमार बगैरा पि. दिवानचंद जाति अरोड़ा के नाम दर्ज है। उपरोक्त किला नम्बरान 5,6,15,16 एवं 25 प्रत्येक में से 0.0250 है0 रकबा की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज है जो कि विवादग्रस्त है तथा जिसे एतद्पश्चात् वादग्रस्त आराजी कहा गया है।

अपीलांट—खातेदारान के अनुसार उन्हें यह सम्पूर्ण आराजी रकबा 15 बीघा वर्ष 1958—59 में कीमतन आवंटित हुई थी। खातेदारान द्वारा सम्पूर्ण आराजी 15 बीघा का मूल्य सरकार को अदा किया गया था । अपीलांट के अनुसार वादग्रस्त आराजियात में कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा। इसके बावजूद भू प्रबंध के दौरान वादग्रस्त किला नम्बरान 5,6,15,16 एवं 25 प्रत्येक में 0.025 है0 भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज कर दी गयी। भू प्रबंध विभाग द्वारा यह कार्यवाही अपीलांट को बिना जानकारी कराये एक पक्षीय रूप से की गयी जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं दी गयी। अपीलांट के अनुसार वादग्रस्त आराजियात का आंशिक रकबा गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के बावजूद मौके पर कभी भी कोई रास्ता ना तो कायम किया गया व न ही कोई रास्ता प्रचलित रहा। वादग्रस्त किला नम्बरान का सम्पूर्ण रकबा निरन्तर व निर्वाध कृषि कार्य में प्रयुक्त रहा। अपीलांट को नक्शे ,जमाबंदी व मौके की स्थिति में विसंगति व विरोधाभास की जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् अपीलांट द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा में इस मुख्य अनुतोष के साथ दायर किया गया कि वादग्रस्त किला नम्बरान की अंशतः (प्रत्येक किला नम्बर में 0.025 है0) गै0मु0 रास्ता दर्ज भूमि की किस्म परिवर्तित की जाकर मूल किले में सम्मिलित दर्ज किया जाये तथा प्रत्येक वादग्रस्त किला नम्बर का सम्पूर्ण रकबा नहरी दर्ज किया जाये।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

उपखडाधिकारी पीलींबंगा के न्यायालय में दायर प्रकरण सं0 115/2018 की विधिवत सुनवाई के दौरान प्रतिवादी तहसीलदार के द्वारा यह प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया कि मौके पर कोई रास्ता कायम व प्रचलित नहीं है तथा न ही मौके पर रास्ता की आवश्यकता है। विद्वान न्यायालय उपखण्डाधिकारी पीलींबंगा द्वारा अभिनिर्धारित किया गया कि मौके पर रास्ता कायम नहीं होने, प्रचलित नहीं होने तथा आवश्यकता नहीं होने के कारण निर्णय दिनांक 18.5.2018 के द्वारा वाद डिक्री किया गया व वादग्रस्त किला नम्बरान की अंशतः दर्ज गै0मु0 रास्ता किस्म को निरस्त कर दिया गया। यद्यपि वर्तमान में यह निर्णय दिनांक 18.5.18 अपील में चुनौतिग्रस्त है।

इसके समानान्तर ' न्याय आपके द्वारा शिविर ' दिनांक 22.6.2018 को पवन कुमार नामक व्यक्ति द्वारा एक आवेदन उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि अपीलांट ने कि.नं. 5,6,15,16 एव 25 में मंजूरशुद्धा रास्ते में फसल काश्त कर अवरूद्ध कर दिया है जिसके कारण प्रार्थी का उनकी अपनी कृषि भूमि में आवागमन बाधित हो गया है लिहाजा मंजूरशुद्धा रास्ते को आवागमन हेतु खुलवाया जावे। उपरोक्त एक पक्षीय आवेदन उपखण्ड अधिकारी द्वारा ' for n/a ' मार्किंग के साथ शिविर में उपस्थित तहसीलदार पीलीबंगा को प्रेषित कर दिया। तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा आवेदन के उपरी कोने में यह पृष्ठांकन किया ' आई.एल.आर./प0ह0 मौका जांच करे। रेकार्ड में सरकारी रास्ता है व मौके पर बंद है तो रास्ता खुलवाए/ हस्ताक्षर दिनांक 22.6.2018

उपरोक्त संक्षिप्त आदेश जो कि हस्तगत अपील में चुनौतिग्रस्त है की क्रियान्विति में पटवारी द्वारा मौके पर जाकर रास्ता खुलवा दिया गया।

उपरोक्त आदेश व इसकी क्रियान्विति में की गयी कार्यवाही से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील मुख्यतः इस आधार पर दायर की गयी है कि चुनौतिग्रस्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना कर अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना पारित किया गया है, वादग्रस्त रास्ता भूमि के बाबत तहसीलदार द्वारा उपखण्डाधिकारी पीलीबंगा में यह जबाब प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त किला नम्बरान की अंशतः भूमि की किस्म गै0मु0रास्ता दर्ज करना त्रुटिपूर्ण है तथा मौके पर रास्ता कायम व प्रचलित नहीं है तथा ना ही आवश्यकता है, इसके बावजूद तहसीलदार ने अपने स्वयं के उपरोक्त कथन के नितान्त विरूद्ध जाकर बिना हक अधिकार व बिना प्रक्रिया की पालना के चुनौतिग्रस्त आदेश प्रदान किया जो विधि विरूद्ध है। यह कि उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 18.5.2018 की रूह से वादग्रस्त आराजियात की किस्म ' गै0मु0 रास्ता' निरस्त कर दी गयी थी। इस तथ्य की जानकारी होते हुए भी उखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/पटवारी आदि राजस्व अधिकारियों ने उपरोक्त आदेश दिनांक 18.5.2018 की अवमानना करते हुए चुनौतिग्रस्त 'शून्य प्रभावी' आदेश दिनांक 22.6.2018 की आड़ में अपीलांट की कृषि भूमि में अनाधिकार दखलंदाजी कर रास्ता कायम करने की कुचेष्टा की है जो विधि विरूद्ध है आदि आदि।

उपरोक्त कथनों के आधार पर दायर हस्तगत अपील प्रस्तुत कर अपीलांट का अनुरोध है कि तहसीलदार का चुनौतिग्रस्त आदेश दिनाक 22.6.2018 तथा इसकी पालना में की गयी कार्यवाही को निरस्त व अपास्त किया जावे।

एक मात्र रेस्पो0 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण के विवेकपूर्ण विवेचन के प्श्चात् अग्र वर्णित तथ्य/ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:-

1 वक्त आवंटन आवंटन शुद्धा आराजी मु0नं0 44 के कि0नं0 5,6,15,16 व 25 में गै00मु0 रास्ता दर्ज नहीं था तथा अपीलांट द्वारा उपरोक्त वादग्रस्त किला नम्बरान के सम्पूर्ण रकबा (5 बीघा) की कीमत अदा की गयी है।

2 वादग्रस्त किला नम्बरान की अंशतः भूमि की किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज हो जाने के बावजूद इसकी खातेदारी पूर्ववत अपीलांट-खातेदारान के नाम दर्ज रिकार्ड है जिसमें अपीलांट-खातेदारान को पूर्ण हस्तांतरणीय उत्तराधिकार के हक प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में एक मात्र स्थापित अवधारणा यह है कि ऐसी भूमि का पूर्ण स्वामित्व खातेदार का होगा तथापि किस्म मात्र भूमि के प्रचलित उपभोग को इंगित करती है।

3 ऐसी स्थिति में तहसीलदार का चुनौतिग्रस्त सशर्त आदेश जो इस प्रकार है कि ' अगर सरकारी रास्ता है व मौके पर बंद है' से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा यह राजकीय रास्ता भूमि के संदर्भ में दिया गया है जबकि निर्विवाद रूप से वादग्रस्त किला

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

नम्बरान की वादग्रस्त रास्ता भूमि सरकारी भूमि नहीं अपितु निजी खातेदारी भूमि है– क्रियान्विति योग्य नहीं था।

4 इसकी निरन्तरता में उपखण्ड अधिकारी पीलींबंगा के आदेश दिनांक 18.5.2018 की रूह से वादग्रस्त आराजी की किस्म गै0मु0रास्ता निरस्त कर दी गयी थीं। इसका तात्पर्य यह है कि चुनौतिग्रस्त आदेश पारित करने के समय वादग्रस्त किला नम्बरान की सम्पूर्ण भूमि स्वामित्व व वास्तवित उपयोग दोनों दृष्टियों से अपीलांट की निजी खातेदारी भूमि थी।

5 उपरोक्त तथ्यों/निष्कषों की रोशनी में प्रार्थीगण के न्याय आपके द्वारा शिविर में दिनांक 22.6.18 को प्रस्तुत आवेदन पर एक मात्र रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के प्रावधान लागू होंगे। अर्थात उभय पक्ष की विधिवत सुनवाई के पश्चात् ही युक्तियुक्त आदेश पारित किया जा सकता है कि आया अमूक स्थान पर किन्हीं व्यक्तियों को सुखाचार प्राप्त था जिसे अपीलांट द्वारा बाधित कर दिया गया है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट जो कि अत्यावश्यक पक्ष था को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया।

6 इस प्रकार चुनौतिग्रस्त आदेश प्रथमतः सशर्त है और शर्त के मुताबिक क्रियान्विति की गयी जो कि अनुचित है द्वितीय– प्रकरण में आवश्यक पक्षकार (खातेदार– अपीलांट) को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया तथा आदेश एक पक्षीय पारित किया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है।

निष्कर्षतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार का चुनौतिपूर्ण आदेश एक पक्षीय, विधि विरूद्ध, अस्पष्ट, अपरिपक्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना किये बिना पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। लिहाजा तहसीलदार पीलीबंगा का हस्तगत अपील के माध्यम से चुनौतिग्रस्त आदेश 22.6.2018 व इसकी क्रियान्विति में की गयी मौका कार्यवाही दिनांक 22.6.2018 अपास्त किये जाते हैं। यह निर्णय भविष्य में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिवत प्रकरण कराने को वर्जित नहीं करेगा। निर्णय की प्रति तहसीलदार पीलीबंगा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)